तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बिरमाराम शर्मा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लोहावट प्रकरण संख्या04/2023	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/4/2024	अपीलार्थी बिरमाराम , पता विश्ववर्मा नगर लोहावट जाटावास, लोहावट जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2023 में उसके द्वारा (1) ग्राम शिवपुरी में नव प्रस्तावित गांव मातवाली नगर की पत्रावली, नक्शा, मतदाता सूचनी, खसरा संख्या, पंचायत प्रस्ताव, पटवारी जम्भेश्वरनगर रिपोर्ट सहित , तहसील कार्यालय (सम्पूर्ण पत्रावली) प्रमाणित प्रति दिलवाने हेतु एवं जिलाधीन कार्यालय सें मिले आपत्ति पत्र की प्रति आदि बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट/तहसीलदार लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 2716 दिनांक 19.12.2023 द्वारा अपीलांट को प्रेषित की गई। जबकि अपीलांट ने अपील में लिखा है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा शेष बिन्दु संख्या 01 से 03, 05 से 11 एवं 13 से 21 कुल 19 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलांट ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने द्वितीय अपील दिनांक 28.02.2024 को पेश कर चुका है। अत: प्रथम अपील का आचौत्य नहीं रह जाता। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। 16/04 जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, फलौदी	